न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 29/2021

बउनवान

भगवती प्रसाद शर्मा उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द जाति–ब्राह्मण निवासी– खोपर तहसील छबड़ा जिला बारां उचित मूल्य दूकानदार ग्राम पंचायत खोपर प्रथम तहसील छबड़ा जिला–बारां (राज.) 9928565870 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील, अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 13.09.2022

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 28/29.01.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत इस आशय की पेश की है कि जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। दिनांक 20.10.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री सुरेन्द्र भारती ने दुकान का निरीक्षण कर अपीलांट को दिनांक 22.10.2021 को अपीलांट का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु श्री रामप्रसाद गोस्वामी को नियुक्त कर कारण बताओ नोटिस अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इस आशय का जारी किया कि, **आपके खिलाफ राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में छपी न्यूज व दुकान पर मौके का नक्शा नही दिया गया तथा दुकान पर सूचना बोर्ड, मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं है,** जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.10.2021 अपीलांट के जवाब हेतु नियत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई समय नहीं दिया जबकि धारा 8(2) में यह स्पष्ट आदेश है कि आदेश के रद्धकरण का कोई भी आदेश जब तक नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्राधिकार धारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्व अपना पक्ष, कथन रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जावे। अपीलांट को दिनांक 22.10.2021 को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 22.10.2021 को ही अपीलांट का लाईसेंस निलम्बित कर दिया, जो खिलाफ कानून है। अपीलांट के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप कतई झूठे व निराधार हैं। अतः अपील अपीलांट [illegible] की जाकर अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 28/[illegible] निरस्त किया जाकर अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:26 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर उक्त आदेश की धारा 8(2) का उल्लंघन करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलांट को दिनांक 25.10.2021 जवाब हेतु नियत कर नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 28/29.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 28/29.10.2021 निरस्त किया जाकर अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (2) का उल्लंघन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक 22.10.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.2021 नियत की गई तथा दिनांक 28/29.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 191/2000 दिनांक 28/29.10.2021 को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं देकर, प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कानूनी भूल की है।

6— अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28/29.10.2021 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 191/2000 बहाल किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी, बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)